राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

कमांक :– प.3(1)साप्र/2/2012–पार्ट जयपुर, दिनांक 2 NOV 2012

–: आदेश :–

श्री घनश्याम दान सांदू, वरिष्ठ लिपिक, मुख्य सचिव कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर जिनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता संख्या 63/2009 है तथा सेवानिवृति दिनांक 31.12.2025 है के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए पात्रता में छूट व "आउट ऑफ टर्न" के आधार पर राजकीय आवास संख्या जीए/III/टी–2/139 विद्याधरनगर, जयपुर का नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तो के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है :–

शर्तेः–

1. आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूँकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास आवंटन की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगीः–
    1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्ज लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
    2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8.10.2012 के कमांक 12 पर अंकित अधिकारी श्रीमती श्रमिता मुदगल, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को उनकी तृतीय श्रेणी की वरियता संख्या 131/2012 के आधार पर आवंटित किया गया राजकीय आवास संख्या जीए/III/टी–2/139 विद्याधरनगर, जयपुर का कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन आदेश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सम्भागीय आयुक्त,/जिला कलेक्टर जयपुर।
2. निदेशक सम्पदा विभाग मिनी सचिवालय जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर।

4. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उप सचिव (वी.पी.) मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी आई.डी. संख्या एफ–12005510 दिनांक 19.11.2012 के क्रम में।
6. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख–1) विभाग, जयपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर–**कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।**
8. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, विद्याधरनगर जयपुर।
10. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 की पालना को भी अमल में लावें।
11. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, पुलिस अकादमी परिसर जयपुर–**कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड में चस्पा करावें।**
12. श्री घनश्याम दान सांदू, वरिष्ठ लिपिक, मुख्य सचिव कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
14. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग।
15. संबंधित अधिकारीगण।
16. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान को उनकी डायरी संख्या एल0002505 दिनांक 7.11.2012 के क्रम में।
17. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
18. रक्षित पत्रावली।

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव